

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद संलग्न रहे।

आदेश सुनाया गया।

Mansur

उपसष्ट अधिकारी
महवा जिला दौसा